

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक: 12 दिसम्बर, 2019

विषय- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का पूर्णतः अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग की अधिसूचना सं०-129/XXVII(7) 32/2007 दिनांक 14.07.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017", (समय-समय पर यथासंशोधित) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त नियमावली के माध्यम से अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिये सामग्री, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पत्ता सुनिश्चित करते हुए अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखते हुए मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का अनुपालन नहीं करते हुए कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर अधिप्राप्ति की प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जो नियमावली के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इससे राज्य हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है।

3- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर-35(8) के अनुसार Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in से ई-प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही की जानी अनिवार्य है। उक्त पोर्टल के अतिरिक्त अन्य प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से निविदा किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा।

4- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त नियमावली में परिभाषित सक्षम अधिकारी एवं सम्बन्धित विभाग/अधिकारी का होगा।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

419 / XXVII(7)32-2007 / 2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक0), कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
6. सनस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य सीनिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय/कोषागार एवं वित्त सेवाएँ/ऑडिट/विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
10. सनस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7
सं०- 195/XXVII(7)32/2007 TC/2019
देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2019

UK procurement
Rules

अधिसूचना संख्या- 126 /XXVII(7)32/2007 TC/2019 दिनांक 12 जुलाई, 2019
द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019" की प्रति
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
9. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली की 200 प्रतियां तैयार कर अबिलम्ब वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7
सं०- 126 /XXVII(7)32/2007 TC / 2019
देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2019.

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

10 (1) रू० 25,00,000 (रू० पच्चीस लाख) से अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए। रू० 25,00,000 (रू० पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाय। विज्ञापन का आकार (साइज) न्यूनतम रखा जाय।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10 (1) समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाएंगी:-

(क) रू० 5.00 करोड़ (रू० पांच करोड़) तथा उससे अधिक अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में।

(ख) रू० 25,00,000 (रू० पच्चीस लाख) से अधिक एवं रू० 5.00 करोड़ से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय

For publication

समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में।

(ग) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में।

(घ) विज्ञापन का आकार (साइज) यथासम्भव न्यूनतम रखा जायेगा।

नियम 32 का संशोधन।

2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 32 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

32. राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तथा शासन के वित्त विभाग की सहमति से राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में विनिर्मित करने वाले लघु कुटीर उद्योग / खादी / सूक्ष्म उद्यम को कय / मूल्य में वरीयता दे सकती है। यह वरीयता, प्राप्त न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परन्तु राज्य में 4000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों/इकाईयों में निर्मित सामग्री पर शासकीय खरीद में 15 प्रतिशत तक Purchase के आधार पर छूट अनुमन्य होगी।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

32. राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमान्तर्गत स्थापित एवं विनिर्मित (Manufacture) करने वाले सूक्ष्म, लघु उद्यमों (कुटीर, खादी हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टप्स सहित) को सामग्री एवं सेवाओं हेतु प्रत्येक आमंत्रित निविदा की मात्रा के 25 प्रतिशत की सीमा तक कय वरीयता इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगी कि यदि प्राप्त निविदाओं में उल्लिखित न्यूनतम दर (L1) के L1+10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों / क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिए L1+15) तक मूल्य उद्धत किया गया हो तो उनके मूल्य को L1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे:

परन्तु यह कि सूक्ष्म, लघु उद्यमों को L1+10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों/क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिए L1+15 प्रतिशत) से अधिक मूल्य की निविदा हेतु कोई कय वरीयता प्रदान नहीं की

जायेगी:

परन्तु यह और कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।

नियम 60 (1) का संशोधन।

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 60 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

60(1) जहां अधिप्राप्ति विषयक कार्यवाही मानक आधारों या सामान्य प्रकृति के बजाय, जटिल एवं अति विशिष्ट प्रकार की हो, जिसमें उच्च कोटि की विद्वता का अंश अधिक हो, तथा विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) द्वारा अपने प्रस्ताव में नवपरिवर्तनशीलता (इनोवेशन) एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों हेतु प्रशासनिक विभाग या सक्षम प्राधिकारी गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (क्यू0सी0 बी0एस0) को अपना सकता है। चयन की इस प्रणाली को अपनाने के पूर्व यदि लागत रू0 40.00 लाख से कम हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाय परन्तु जहां लागत रू0 40.00 लाख से अधिक हो, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

60(1) जहां अधिप्राप्ति विषयक कार्यवाही मानक आधारों या सामान्य प्रकृति के बजाय, जटिल एवं अति विशिष्ट प्रकार की हो, जिसमें उच्च कोटि की विद्वता का अंश अधिक हो, तथा विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) द्वारा अपने प्रस्ताव में नवपरिवर्तनशीलता (इनोवेशन) एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों हेतु प्रशासनिक विभाग या सक्षम प्राधिकारी गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (क्यू0सी0बी0एस0) को अपना सकता है। चयन की इस प्रणाली को अपनाने के पूर्व यदि लागत रू0 1.00 करोड़ तक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जायेगी परन्तु जहां लागत रू0 1.00 करोड़ से अधिक हो, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।

ECBS
up to 1 crore
More than 1 cr
Administrative dept
Fin

(अमित सिंह नेगी)
सचिव